



Reserve Bank of India/ भारतीय रिज़र्व बैंक
Human Resource Management Department / मानव संसाधन प्रबंध विभाग
Guwahati / गुवाहाटी

बोली-पूर्व बैठक का विवरण - मुख्य कार्यालय परिसर, आरबीआई, गुवाहाटी में तीन कॉफी/चाय वेंडिंग मशीनों की स्थापना और रखरखाव तथा दूध और कॉफी बीन्स आदि का उपयोग करके कॉफी, चाय और अन्य पेय पदार्थों की आपूर्ति के लिए ई-निविदा

ई-निविदा नं: [आर.बी.आई/गुवाहाटी/मासंप्रावि/1/25-26/ET/13](#)

उपरोक्त ई-निविदा के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के संदर्भ में, वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष, चौथी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, स्टेशन रोड, पान बाज़ार, गुवाहाटी पर 18 अप्रैल, 2025 को एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित की गई थी। बैंक और संभावित निविदाकारों के प्रतिभागियों की सूची नीचे दी गई है:

i. बैंक अधिकारी:

क्र.सं.	नाम	पद का नाम
1	सुश्री जीनिया बरुआ	सहायक महाप्रबंधक
2	श्री दुष्यंत कुमार सी	सहायक प्रबंधक

ii. संभावित निविदाकारों के प्रतिनिधि

क्र.सं.	प्रतिनिधि का नाम	एजेंसी/फर्म/कंपनी का नाम
1	श्री सौरभ जैन	मैसर्स इनोवेटिक इक्विप्मेंट्स

2. बैठक के दौरान प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए प्रश्न और बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	प्रश्न/प्रस्ताव	बैंक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण
1	क्या निविदाकर्ता जनशक्ति आपूर्ति (1 ऑपरेटर) से संबंधित हिस्से को तीसरे पक्ष विक्रेता को आउटसोर्स/उप-पट्टे पर दे सकता है?	निविदा दस्तावेज के खंड IV में पैरा N (1) के अनुसार, सफल निविदाकर्ता बैंक की लिखित सहमति के बिना अनुबंध या किसी भाग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित, असाइन या सबलेट नहीं करेगा। तदनुसार, प्रतिनिधि को सूचित किया गया कि मशीन उपभोग्य सामग्रियों के साथ-साथ मैनपावर (1 ऑपरेटर) की आपूर्ति सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध के किसी भी हिस्से को सबलेट किए बिना की जानी होगी।

2	प्रतिनिधि द्वारा उठाए गए अन्य सामान्य प्रश्न: 1 मशीन ऑपरेटर के वेतन की प्रतिपूर्ति के लिए प्रमाण के रूप में कौन से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे?	प्रतिनिधि को निविदा दस्तावेज के खंड IV में पैरा B (3) और पैरा D का संदर्भ लेने के लिए सूचित किया गया, जिसमें जनशक्ति की आपूर्ति के लिए वस्तु एवं सेवा कर चालान के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके अलावा, प्रतिनिधि को सूचित किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक मोड (भुगतान रसीद / बैंक स्टेटमेंट) में मजदूरी के क्रेडिट का प्रमाण ESI और EPF प्रेषण चालान और 1 ऑपरेटर के कुल वेतन के लिए गणना शीट के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।
---	---	---

3. उपरोक्त स्पष्टीकरण सभी संभावित निविदाकारों की जानकारी के लिए जारी किए गए हैं। बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त निविदा का हिस्सा बनेंगे। इसलिए, इसे निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा के साथ हस्ताक्षरित और प्रस्तुत किया जाएगा। निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित बाकी नियम और शर्तें और विशिष्टताएं वही रहेंगी। फर्म द्वारा बोली प्रस्तुत करना ऊपर दिए गए बोली दस्तावेज और स्पष्टीकरण के अनुरूप माना जाएगा।

**क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
उत्तर पूर्वी राज्य**